14.5.24

प्रार्थी नितिन कुमार मोर्य पुत्र श्री लाखन सिंह मोर्य जात जाटव निवासी भीमनगर निहालगंज कोठी धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर की ओर से अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थगढी अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर ग्राम कासिमपुर पटवार हल्का कासिमपुर, भू.अ.नि. क्षे.तगावली तहसील व जिला धौलपुर स्थित स्वंय की खातेदारी के खाता संख्या 176 के खसरा नम्बर 1398/1239 क्षेत्रफल 1.2645 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार कास्तकार है तथा मौके पर काबिज है। प्रार्थी की खातेदारी की उक्त जमीन के उत्तर में श्रीमती रजीन पत्नि वीरेन्द्र सिंह, रामभूली पत्नि रमेश, लक्ष्मी पत्नि निहाल सिह सत्यवती पत्नी चरनसिंह समस्त जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम कासिमपुर की खातेदारी की जमीन खसरा संख्या 1400/1239 रकबा .1.2645 हैक्टेयर स्थित है तथा दक्षिण में श्रीमती मुन्नी पत्नि अचलसिह जाति गुर्जर निवासी घण्टाघंर रोड धौलपुर की खातेदारी की जमीन खसरा संख्या 1399/1239 हैक्टेयर तथा पूरव में श्री अचल सिंह पुत्र इन्द्रसिह जाति गुंर्जर निवासी घण्टाघर रोड धौलपुर की जमीन खसरा नम्बर 1401/1239 हैक्टेयर तथा श्री किशन सिह पुत्र श्री बालमुकुन्द जाति ठाकुर निवासी कासिमपुर की खातेदारी की जमीन खसरा नम्ब्र 1402/1239 रकवा 1.2645 हैक्टैयर स्थित है तथा पश्चिम में वन विभाग धौलपुर की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 1397/1239 रकवा 8.7124 हैक्टेर स्थित है। नक्शा अक्श एवं सभी खातेदारों की जमावंदी की नकेल संलग्न है प्राथी ने खेत की सीमा पर पत्थरगढी एवं तारबंदी कराने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्राथी श्रीमती रजनी, श्रीमती रामभूली, श्रीमती लक्ष्मी, सत्यवती,

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	श्रीकिशन, वनविभाग वाद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 06.05.2024 को की गई। अप्राथीगण श्रीमती मुन्नी, अचलसिह के ओर से श्री योगेश शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए लेकिन जबाव पेश नहीं किया गया ना ही बहस के दौरान कोई कथन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली में तहसीलदार धौलपुर द्वारा पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 15.07.2023 में विधिवत रूप से पडोसी एवं प्रार्थी की मौजूदगी में पैमाईश करवाई गई है उक्त खसरा नम्बर 1398/1239 रकवा 1.2645 है0 ग्राम कासिमपुर की सीमाओ पर मुस्तकिल निशानात कायम करवाये थे, जो आज भी मौजूद है। वन विभाग की ओर से बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं हुआ। मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 15.07.223 के मुताबिक प्रार्थी अपने खर्चे पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिससे पडौसी काश्तकार प्रार्थी की जमीन पर कब्जा नहीं करें। वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली में संलग्न तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी आवेदित भूमि की खातेदार काश्तकार है एवं आवेदन के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार दिनांक 15.07.23 में तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा पैमाईश की जा चुकी है, निशानात लगवाये गये है, निशानों को प्रार्थी व अन्य खातेदारों को अवगत कराया गया है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त ख.न. पर कोई स्थगन नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि भूमिधारी आवेदक की खातेदारी की आराजी एवं आस-पास की भूमि खाली होने पर आवेदित भूमि खसरा नम्बर 1398/1239 क्षेत्रफल 1.2645 हैक्टेयर ग्राम कासिमपुर की नियमानुसार शुल्क जमा कराया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज0)